अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.) सत्यमेव जयते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अपील प्र0सं0 04/19

1. राजविन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह
2. त्रिलोचनसिंह पुत्र श्री बलतेजसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र श्री जगरसिंह

अकवाम जटसिख सकनाए चक 2 टी जोधेवाला तहसील श्रीकरणपुर
अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार राजस्व, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर !
2. गुरेन्द्रसिंह पुत्र बलजिन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 2 टी जोधेवाला हाल सरी ब्रिटिश कालम्बिया, कनाडा जरिये मुख्तयारेआम राजेन्द्रसिंह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 8 फर्स्ट ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.08.2019 न्यायालय उप तहसीलदार राजस्व, केसरीसिंहपुर प्रकरण कमांक 19/373

उपस्थित : 1. श्री कुलविन्द्रसिंह मुट्ठी, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से
3. श्री अमनदीपसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 की ओर से।

आदेश दिनांक :07.09.~~20120~~2020

अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ पेश की गई है जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस के नाम से मु0 नं0 3–4व 5 के प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है तथा इन किलाजात में खाला भी मंजूर है। चूँकि रास्ता किला नं0 21 ता 25 की पत्थर लाईन के साथ चिपता मंजूर था तथा रास्ते के साथ अपीलांटस के रकबे में चल रहा था। सीएडी विभाग द्वारा खाला को पक्का करते समय रास्ते की जगह जो पत्थर लाईन के साथ थी, में पक्का खाला बना दिया गया था। पक्के खाले की जगह दो फुट को छोड़कर शेष भूमि में रास्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित कर चक 4 टी0के0 के मु0 नं0 3–4 व 5 की गैरमुमकिन रास्ते की भूमि मु0 नं0 3 के कि0 नं0 21–22 ता 25 की कुल 0.063 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने फसल ग्वार नहरी, मु0 नं0 4 किला नं0 21,22 ता 25 में कुल 0.063 है0 भूमि पर अपीलान्ट सं0 1 ने काश्त कर रखी है। मु0 नं0 5 के कि0 नं0 21,22 ता 25 में कुल 0.063 है0 भूमि पर अपीलान्ट सं0 2 ने गैरमुकिन भूमि रास्ते में फसल काश्त कर रखी है। गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त रकबा में खड़ी फसल को कुर्क कर अपनी सुपुर्दगी में लेकर रिपोर्ट भिजवाने का आदेश पारित किया है।अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलकृत आदेश प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत एकपक्षीय पारित किया गया है। सीएडी विभाग द्वारा खाले को पक्का करते समय रास्ते की जगह जो पत्थर लाईन के साथ है, में पक्का बना दिया है जबकि अपीलांटस द्वारा रास्ते की जगह में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। रास्ते की जगह पर सीएडी विभाग द्वारा खाले का निर्माण किया गया है तथा खाले की जगह खाली पड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को गलत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते व खाले की भूमि की पैमायश नहीं करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बेवजह पार्टीबाजी के कारण झूठा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की भूमि मु0 नं0 10 में पड़ती है। पक्का खाला दो फुट की जगह में चल रहा है, शेष भूमि खाली पड़ी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है, साथ ही मौखिक बहस भी सुनी गई है।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांटस के नाम से मु0 नं0 3–4व 5 के प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है तथा इन किलाजात में खाला भी मंजूर है जो कि मौके पर चल रहा है। गंगनहर सीएडी विभाग द्वारा जलमार्ग को पक्का निर्मित कर दिया गया है। मौके पर स्वीकृत रास्ता चालू स्थिति में है परन्तु रेस्पो0 सं0 2 द्वारा लालचवश खाला की 16–6 फीट भूमि को भी खाली करवाने की कौशिश में अपीलांटस के विरूद्व मिथ्या तथ्योंके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर बिना विधिवत् सुनवाई किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस द्वारा रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28–3–19 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला एवं रास्ता की भूमि की पैमायश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिचॉई विभाग के चक प्लान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

नक्शा एवं रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की भूमि मु0 नं0 10 में रास्ते के दूसरी तरफ पड़ती है जिसके लिए मौके पर रास्ता चालू स्थिति में है। पटवारी हल्का मलकाना कलां दिनांक 28–3–19 की रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर खाला के साथ साथ रास्ता चालू होने एवं नक्शे में खाला व रास्ता की भूमि सुनिश्चित नहीं होने के तथ्य प्रकट किये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का अवलोकन किये बिना ही अपीलकृत आदेश विधिविरूद्व पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत हस्तगत अपील पोषणीय नहीं है। हस्तगत अपील में रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई है और अतिक्रमण हटाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय से एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है तथा आदेश 39 नियम 3 की पालना आदेश दिये जाने के बाद भी नहीं की गई है। उक्त नियम की पालना न होने के कारण एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश एकपक्षीय नहीं है। अपीलांटस पर विधिवत् तामील के उपरांत भी अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। पूर्व में अपीलाधीन रकबे का दिनांक 10–5–19 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान होने पर ही पक्का खाला का निर्माण किया हुआ है। मु0 नं0 3–4–5 में खाले व रास्ते की कुल भूमि 4 बिस्वा में जो 33 फुट में 25 फुट भूमि पर खाला व रास्ता चालू है परन्तु 8 फुट रास्ते की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज फसल काश्त कर रखी है और इस नाजायज फसल काश्त करने से आने जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण रास्ता संकरा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांटस द्वारा भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है । अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर के आदेश क्रमांक राजस्व / 19 / 373 को चुनौति दी गई है। अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व / 19 / 373 दिनांक 26–8–19 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, मलकाना कलां को आदेश दिया गया है कि " चक 4 टी मु0 नं0 3–4–5 गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मु0 नं0 3 कि0 नं0 21 ता 25 में कुल 0.063 है0 भूमि पर बाबूसिंह पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता
श्रीगंगानगर

जगरसिंह जाति जटसिख ने फसल ग्वार नहरी, मु0 नं0 4 कि0 नं0 21 ता 25 में कुल 0.063 है0 भूमि पर राजविन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन मलकाना कंला ने फसल ग्वार नहरी , मु0 नं0 5 के कि0 नं0 21 ता 25 में कुल 0.063 है0 में त्रिलोचनसिंह पुत्र बलतेजसिंह ने काश्त नहरी फसल सम्वत् 2076 खरीफ में गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त रकबा की फसल को कुर्क कर अपनी सुपुर्दगी में लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवायें ''।

जहॉ तक हस्तगत प्रकरण में गुणदोष का प्रश्न है, अपीलांटस द्वारा नाजायज काश्त की जाकर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाजायज काश्त को कुर्क करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इसकी पुष्टि उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक राजस्व/20/676 दिनांक 3–3–2020 से होती है। इस रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 3–3–2020 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि '' मुताबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शा के चक 4 टी मु0 नं0 3–4–5 कि0 नं0 21 से 25 प्रत्येक में पत्थर लाईन के साथ साथ 2–2 बिस्वा खाला व खाले के साथ उत्तर दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर है। मौके पर राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही पक्का खाला बना हुआ है व रास्ता चालू है। पूर्व में उक्त रकबे का दिनांक 10–5–19 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाा ज्ञान होने पर ही पक्का खाला निर्माण कार्य हुआ है। परन्तु उक्त मु0 नं0 3–4–5 में खाले व रास्ते की कुल भूमि 4 बिस्वा (33 फीट) में लगभग 25 फीट भूमि पर खाला व रास्ता दोनों चालू होने से रास्ता संकरा है ''।

दैनिक डायरी दिनांक 10–5–19 में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि '' मु0 नं0 3–4–5 के खाले की पैमायश आदेशानुसार पैमायश हेतु गठित टीम द्वारा की गई । मुताबिक राजस्व रेकार्ड मु0 3–4–5 किला नं0 21 से 25 मुरब्बा लाईन के साथ साथ 2–2 बिस्वा गै0मु0 खाला भूमि दर्ज है। उक्त मुरब्बों में निर्माणाधीन पक्के खाले की निशानदेही हेतु मु0 नं0 8 व 9 के कि0 नं0 1 उत्तर पश्चिम व मु0 नं0 10 के कि0 नं0 21 के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित सरकारी पत्थर से जरीन चला कर सी0ए0डी0 विभाग द्वारा चाही गई मु0 नं0 3–4--5 के कि0 नं0 21 से 25 के खाला की निशान दे ही दी गई। मौके पर झण्डियां लगा कर पुख्ता निशान कायम किये गये। सीमाज्ञान के समय सी0ए0डी0 विभाग, ग्राम के मौतबिरान व्यक्ति उपस्थित थे''।

नक्शा चक 4 टी के में जो खाला दिखाया गया है, वह मु0 नं0 3–4–5 में कि0 नं0 21 से 25 में दिखाया गया है तथा उसके चिपते ही रास्ता मु0 नं0 3–4–5 किला नं0 21 से 25 (उतर दिशा) में दिखाया गया है।

अपीलांटस का यह तर्क कि पक्का खाला निर्माण से पूर्व सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है एवं मौके की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य नहीं होने से यह तर्क खारिज किया जाता है क्योंकि सीमा ज्ञान व मौके जॉच की पुष्टि उपरोक्त रिपोर्टस से होती है। अपीलांटस का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सत्यापित)
श्रीगंगानगर

द्वारा सुनवाई हेतु विधिवत् नोटिस जारी नहीं किये गये हैं बल्कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नोटिस उपलब्ध हैं तथा नोटिसेज पर विधिवत् तामीली रिपोर्ट अंकित है।

इस प्रकार, अपीलाधीन रकबे का दिनांक 10–5–19 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान होने पर ही पक्का खाला का निर्माण हुआ है। मु0 नं0 3–4–5 में खाले व रास्ते की कुल भूमि 4 बिस्वा में जो 33 फुट में 25 फुट भूमि पर खाला व रास्ता चालू है परन्तु 8 फुट रास्ते की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण रास्ता संकरा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की गुजांईश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर मेरे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांईश नही होने से, अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 की पुष्टि की जाती है। दिनांक 5–9–19 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 07.9.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर